क्रम संख्या–106 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 दिसम्बर, 2022 ई0

अग्रहायण 17, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 341/XXXVI (3)/2022/75(1)/2022

देहरादून, 08 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विनियोग (2022–23 का अनुपूरक) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 07 दिसम्बर, .2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 11 वर्ष, 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2022–23 का अनुपूरक) अधिनियम, 2022

(अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2022)

31 मार्च, 2023 ई0 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2022–2023 का अनुपूरक) अधिनियम, 2022 है।

उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2022–23 के लिये रु054404291000 का निकाला जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की संचित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 54404291000 (रुपया पॉच हजार चार सौ चालीस करोड़ बयालीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) होता हैं, अधिक न हो।

विनियोग

3 इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022–23 के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुपूरक आय–व्ययक– 2022–23

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	2105	2105
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	105000	0	105000
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	327173	37600	364773
		पूँजी	555600	0	555600
05–	निर्वाचन	राजस्व	15832	0	15832
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	1120734	0	1120734
		पूँजी	154500	0	154500
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	3364213	2000000	5364213
		पूँजी	1	20100000	20100001
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	244060	0	244060
		पूँजी	0	0	0
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	821824	0	821824
		पूँजी	435646	0	435646
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	4228444	0	4228444
		पूँजी	100000	0	100000
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	914877	0	914877
		पूँजी	2946689	0	2946689
14–	सूचना	राजस्व	517000	0	517000
		पूँजी	0	0	0
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	3165482	0	3165482
		पूँजी	0	0	0
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	246473	0	246473
		पूँजी	0	0	0
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	386368	0	386368
		पूँजी	183057	0	183057
18–	सहकारिता	राजस्व	7500	0	7500
		पूँजी	50000	0	50000
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	2503463	0	2503463
		पूँजी	3500000	0	3500000
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	563672	0	563672
		पूँजी	2200000	0	2200000

अनुसूची

अनुपूरक आय–व्ययक– 2022–23

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
23–	उद्योग	राजस्व	300000	0	300000
		पूँजी	721000	0	721000
24–	परिवहन	राजस्व	257039		257039
		पूँजी	1	0	1
25–	खाद्य	राजस्व	529720	0	529720
		पूँजी	0	0	0
26–	पर्यटन	राजस्व	2000	0	2000
		पूँजी	0	0	0
27–	वन	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	1	0	1
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	77621	0	77621
		पूँजी	200000	0	200000
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	373607	0	373607
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	360848	0	360848
		पूँजी	361676	0	361676
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	291653	0	291653
		पूँजी	131812	0	131812
	योग–	राजस्व	20724603	2039705	22764308
		पूँजी	11539983	20100000	31639983
	महायोग		32264586	22139705	54404291

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 204 सपठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य विधान सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक यह उपबन्धित करता है कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान मांगों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तराखण्ड की संचित निधि में से किया जा सके।

प्रेम चन्द अग्रवाल
वित्त मंत्री